प्रेस विज्ञप्ति

07.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय, (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 30/06/2025 को चंडीगढ़, नई दिल्ली और गुड़गांव में स्थित दो घरों और सात अपार्टमेंटों सहित नौ अचल संपत्तियों और 14.06 करोड़ रुपये (लगभग) के बैंक बैलेंस के रूप में संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एमएल तायल (सेवानिवृत्त आईएएस) और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में चल रही जांच के संबंध में की गई है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि एमएल तायल (सेवानिवृत्त आईएएस), 06.03.2005 से 31.10.2009 तक हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और 30.11.2009 से 31.12.2014 तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य (जांच अवधि 01.01.2006 से 31.12.2014) के रूप में कार्य करते हुए और उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। इसके अनुसरण में, ईडी ने एमएल तायल, श्रीमती सविता तायल और कार्तिक तायल के वित्तीय मामलों, आयकर रिकॉर्ड और शेयर बाजार के लेन-देन की जांच की।

ईडी की जांच से पता चला है कि 01.01.2006 से 31.12.2014 की जांच अवधि के दौरान आरोपी ने अवैध रिश्वत के माध्यम से उत्पन्न पीओसी का उपयोग करके 14.06 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी।

आगे की जांच प्रगति पर है।